रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 426] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 1985/आश्विन 2, 1907
No. 426] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 1985/ASHVINA 2, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1985

अधिसूचना

सं. 211/85-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 752(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मालों को, जिनकी निकासी, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग या आयल इंडिया लिमिटेड को प्रदाय करने के लिए की जाती है, उक्त अधिनियम

की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब जब उक्त माल की निकासी से पहले तेल और प्राकृतिक गैस आयोग या आयल इंडिया लिमिटेड से आहरण का प्रमाण-पत्र जो ऐसा माल तेल खोज संबंधी क्रियाकलाप के संबंध में अपेक्षित है, समुचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है :

परन्तु यह और कि ऐसा प्रमाण-पत्र या साक्ष्य जिसकी अपेक्षा समुचित अधिकारी द्वारा यह सत्यापित करने के लिए की जाती है कि उक्त माल का उपयोग तेल खोज संबंधी क्रियाकलाप के संबंध में किया गया है, प्रस्तुत कर दिया जाता है ।

परन्तु यह और भी कि इस अधिसूचना के अधीन छूट के संबंध में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है ।

[फ़ा. सं. 71/12/84-सी एक्स-2]

चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 24th September, 1985

NOTIFICATION

No. 211/85—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 752(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts all the goods specified in the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and cleared for supply to the Oil and Natural Gas Commission or the Oil India Limited, from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act :

Provided that before clearance of the said goods a certificate from the Oil and Natural Gas Commission or the Oil India Limited, as the case may be, to the effect that such goods are required to be

used in connection with their oil exploration activity, is produced to the proper officer :

Provided further that such certificate or evidence as may be required by the proper officer for varifying that the said goods have been used in connection with the oil exploration activity is furnished :

Provided also that in relation to the exemption under this notification, the procedure set out in chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

[F. No. 71|12|84-CX.2]
CHANDRA P. SRIVASTAVA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985